न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बाप, फलोदी

पीठासीन अधिकारी :– सुखाराम पिण्डेल (आर.ए.एस.)

राजस्व प्रकरण संख्या :– 141 / 2021 जी.सी.एम.एस. नम्बर :– 2021 / 140

दायर दिनांक :– 30.11.2021 निर्णय दिनांक :– 11.03.2025

वादीगण **बनाम** **प्रतिवादीगण**

1. माधूसिंह पुत्र किशोरसिंह
2. मोहनीदेवी पत्नि किशोरसिंह

जाति राजपूतरोहि नि. बावडी कल्ला
तहसील बाप जिला जोधपुर

01. अयूब खां पुत्र अब्दुल करीम
02. अब्दुल सतार पुत्र अब्दुल करीम
03. अब्दुल करीम पुत्र नूर मोहम्मद
04. इमामदीन पुत्र फते खां
    जाति मुसलमान नि. हिण्डालगोल
    तहसील बाप जिला जोधपुर
05. दोलाराम पुत्र आसूराम
    जाति भाट निवासी केलावा कला
    तहसील बावडी जिला जोधपुर
06. निहालदीन पुत्र फते खां
07. सरादीन पुत्र फते खां
    जाति मुसलमान नि. हिण्डालगोल
    तहसील बाप जिला जोधपुर
08. कमलादेवी पत्नि भैरूदान
    जाति वैष्णाव नि. मगरा पूंजला,
    जोधपुर
09. हकीमखां पुत्र हाजी आकलमोहम्मद
10. अमर खातु पत्नि फते खां
    जाति मुसलमान नि. हिण्डालगोल
    तहसील बाप जिला जोधपुर
11. जगमालराम पुत्र सुखाराम
    जाति मेगवाल निवासी खीरवा
    तहसील बाप जिला जोधपुर
12. उम्मेदसिंह पुत्र बलवन्तसिंह
13. शैतानसिंह पुत्र बलवन्तसिंह
14. हिम्मतसिंह पुत्र डूंगरसिंह
15. चन्द्रसिंह पुत्र डूंगरसिंह
16. सुरेन्द्रसिंह पुत्र डूंगरसिंह
    जाति राजपूत निवासी खीरवा
    तहसील बाप जिला जोधपुर
17. कासम पुत्र रहीमबग्स
18. अलादीन पुत्र रहीमबग्स
19. कासम पुत्र नूरमोहम्मद
20. अमीन खां पुत्र नूरमोहम्मद
21. अब्दुल शकूर पुत्र करीम

सहायक कलेक्टर
बाप (फलोदी)

22. मोहम्मद इलियास पुत्र अ. करीम
23. लतीफा पुत्री मोहम्मद इलियास
24. आशियाखातुन पत्नि रमजानखां
25. इनायतों पत्नि हफीजुल्ला
26. रहमत पत्नि अब्दुला
27. रहीमो खातुन पत्नि कासम खां
28. जिन्नत पत्नि अब्दुल करीम
    जाति मुसलमान नि. हिण्डालगोल
    तहसील बाप जिला जोधपुर
29. केवल पुत्र सुखा
30. मोमताराम पुत्र सुखाराम
31. माधाराम पुत्र सुखाराम
    जाति मेगवाल निवासी खीरवा
    तहसील बाप जिला जोधपुर
32. जोधपुर लिफ्ट केनाल परि.
    जन. स्वास्थ्य. अभियन्ता विभाग
33. सरपंच ग्राम पंचायत जोड़
34. शाखा प्रबन्धक जे.सी.सी.बी.
    शाखा बाप जिला जोधपुर
35. शाखा प्रबन्धक पी.एन.बी.
    शाखा फलोदी जिला जोधपुर
36. शाखा प्रबन्धक आर.एम.जी.बी.
    शाखा मलार जिला जोधपुर
37. शाखा प्रबन्धक इलाहाबाद बैंक
    शाखा फलोदी जिला जोधपुर
38. शाखा प्रबन्धक ओ. बी. सी.
    शाखा खीचन जिला जोधपुर
39. श्रीमान तहसीलदार, बाप

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 एवं धारा 131,136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956

उपस्थित :–1. श्री राजेन्द्रसिंह सोंलकी अधिवक्ता वादीगण

2. पैरोकार सरकार तहसीलदार बाप

–:: निर्णय ::–

प्रार्थीगण ने राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 एवं धारा 131,136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 का इस आश्य से पेश किया है कि ग्राम खीरवा तहसील बाप के खसरा नम्बर 112 रकबा 791–10 बीघा स्थित है। उक्त वादग्रस्त भूमि का समय–समय पर अलग–अलग हस्तान्तरण निष्पादित हुवे जिसके आधार पर पटवारी हल्का द्वारा प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 33 के नाम से सरासर गलत तरीके से राजस्व रेकर्ड जमाबंदी में

सहायक कलेक्टर
बाप (फलोदी)

खाते अलग–अलग कायम कर दिये हस्तान्तरण के आधार पर उक्त भूमि के राजस्व रेकर्ड में खाते अलग अलग कायम किये गये जो वर्तमान में प्रार्थी संख्या 1 नाम खसरा नम्बर 112/5 रकबा 50–00 बीघा, प्रार्थी संख्या 2 के नाम खसरा नम्बर 112/8 रकबा 50–00 बीघा, अप्रार्थी संख्या 1 ता 3 के नाम से खसरा नम्बर 112/9 रकबा 2–19 बीघा, अप्रार्थी संख्या 4 व 5 के नाम से खसरा नम्बर 112 रकबा 41–00 बीघा, अप्रार्थी संख्या 6 ता 8 व 33 के नाम से खसरा नम्बर 112/1 रकबा 58–18 बीघा, अप्रार्थी संख्या 9 के नाम खसरा नम्बर 112/2 रकबा 40–00 बीघा, अप्रार्थी संख्या 10 के नाम खसरा नम्बर 112/3 रकबा 10–00 बीघा, अप्रार्थी संख्या 11 के नाम खसरा नम्बर 112/4 रकबा 12–05 बीघा, अप्रार्थी संख्या 12 व 13 के नाम से खसरा नम्बर 112/5 रकबा 24–13 बीघा, अप्रार्थी संख्या 14 ता 16 के नाम से खसरा नम्बर 112/6 रकबा 49–00 बीघा, अप्रार्थी संख्या 17 व 18 के नाम खसरा नम्बर 112/7 रकबा 20–0 बीघा, अप्रार्थी संख्या 19 के नाम खसरा नम्बर 112/10 रकबा 55–00 बीघा, अप्रार्थी संख्या 20 के नाम खसरा नम्बर 112/11 रकबा 16–18 बीघा, अप्रार्थी संख्या 21 के नाम खसरा नम्बर 112/12 रकबा 56–10 बीघा, अप्रार्थी संख्या 22, 23 व 2 के नाम खसरा नम्बर 112/13 रकबा 65–05 बीघा, अप्रार्थी संख्या 24 ता 26 के नाम से खसरा नम्बर 112/14 रकबा 56–10 बीघा, अप्रार्थी संख्या 27 के नाम खसरा नम्बर 112/17 रकबा 16–10 बीघा, अप्रार्थी संख्या 28 के नाम खसरा नम्बर 112/18 रकबा 33–07 बीघा, अप्रार्थी संख्या 29 के नाम खसरा नम्बर 112/19 रकबा 12–05 बीघा, अप्रार्थी संख्या 30 के नाम खसरा नम्बर 112/20 रकबा 12–05 बीघा, अप्रार्थी संख्या 31 के नाम खसरा नम्बर 112/21 रकबा 12–05 बीघा तथा अप्रार्थी संख्या 32 के नाम खसरा नम्बर 112/16 रकबा 96–00 बीघा के रूप में अलग–अलग दर्ज है। प्रार्थीगण एंव अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 33 का मौके पर हस्तान्तरण से प्राप्त भूमि अनुसार कब्जा व काश्त आज दिन तक लगतार शांतिपूर्वक तरीके से चला आ रहा है लेकिन वर्तमान में सेग्रीकेशन योजना के तहत अवाप्त नक्शा के विरूद्व जाकर अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 की तरमीम कर दी गई है जो सरासर गलत एंव विधि विरूद्व है। इसलिये प्रार्थीगण ग्राम खीरवा के मूल खसरा नम्बर 112 रकबा 791–10 बीघा भूमि में खातेदारों के कब्जा काश्त के विपरित की गई तरमीम को निरस्त करवा कर अपने एवं अप्रार्थी संख्या 1 ता 33 के उपरोक्त हिस्से एवं संलग्न नजरी नक्शा अनुसार तरमीम करवाने के अधिकारी है जिसका यह प्रार्थना पत्र पेश है।

प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर सिगेदार की रिपोर्ट ली जाकर दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 ता 38 की और से कोई उपस्थित नहीं आये लिहाजा इनके विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। अप्रार्थी संख्या 39 तहसीलदार बाप ने जवाब व मौका रिपोर्ट मय नजरी नक्शा पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया। वकील वादी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 23 नियम 1 सिविल प्रकिया संहिता का पेश कर निवेदन किया कि वादीगण का वाद विभाजन एवं स्थायी निषेधाज्ञा की हद तक विड्रो किये जाने निवेदन किया प्रार्थना पत्र पर वकील वादी की बहस सुनी गयी। प्रार्थी का उक्त प्रार्थना पत्र स्वीकार

11/3/15
सहायक कलेक्टर
बाप (फलोदी)

किया गया। वकील वादी ने संशोधित प्रार्थना पत्र पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली बहस में रखी गयी।

बहस अधिवक्ता प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131,136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 सुनी गयी। दस्तावेजों का गहराई से अध्ययन किया गया। बहस अधिवक्ता पर मनन किया गया। ग्राम खीरवा पटवार हल्का जोड़ तहसील बाप के मूल खसरा नम्बर 112 रकबा 791–10 बीघा व समस्त बट्टा नम्बरों की तरमीम खातेदारों के कब्जा काश्त के भिन्न है। तहसीलदार बाप के जवाब व पटवारी हल्का की मौका रिपोर्ट इत्यादि का अवलोकन करने से यह स्पष्ट होता है कि आराजी खसरान् की तरमीम ऑनलाईन नक्शा में कब्जा काश्त के विपरित की गई है जिसे कब्जा काश्त अनुसार दुरूस्त किया जाना उचित है। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दस्तावेजों से साबित है।

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर उपरोक्त वर्णित खसरान् की तरमीम को निरस्त किया जाकर पटवारी हल्का जोड़ एवं भू.अ.निरीक्षक की मौका रिपोर्ट दिनांक 09.12.2024 के संलग्न नजरी नक्शा अनुसार किया जाना उचित समझते है।

क्रियात्मक आदेश

उपर्युक्त विवेचन के आलोक में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131,136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है कि ग्राम खीरवा पटवार हल्का जोड़ तहसील बाप के मूल खसरा नम्बर 112 रकबा 791–10 बीघा व समस्त बट्टा नम्बरों की वर्तमान ऑनलाईन तरमीम को निरस्त की जाकर पटवारी हल्का जोड़ एवं भू.अ.निरीक्षक की मौका रिपोर्ट दिनांक 09.12.2024 के संलग्न नजरी नक्शा अनुसार तरमीम किये जाने के आदेश तहसीलदार बाप को दिये जाते है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 11.03.2025 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

11/3/25

सहायक कलेक्टर
बाप (फलोदी)

सहायक कलेक्टर
सत्यमेव जयते
बाप, जिला फलोदी (राज.)

(सुखाराम पिण्डेल, R.A.S.)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बाप (फलोदी)